न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 4/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–सुखलाल पिता गंगाराम रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–चेना पिता नारू रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–कमला पत्नि चेना रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्यारी देवी पत्नि नारू बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–हीरा पिता दोला रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–बदामी पत्नि हीरा रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती(धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट..)

उपस्थित

1. – फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खातेदार हरलालदास पिता मोहनदास बैरागी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा, आराजी संख्या 294/2 रकबा दो बीघा, कुल किता दो कुल रकबा साढे चार बीघा भूमि स्थित थी। उक्त खातेदार से प्रार्थी ने दोनो आराजियात काफी वर्षो पूर्व क्रय की तथा साबिक नक्शे के अनुरूप मौके पर काबिज होकर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन का ढाई बीघा रकबा व आराजी संख्या 294/2 का दो बीघा रकबा साबिक नक्शे मे उत्तर–दक्षिण में लम्बवत् रूप में पट्टी के रूप में फिट था इसी अनुरूप प्रार्थी मौके पर काबिज है। विपक्षीगण प्रार्थी की साबिक आराजियात के पडोसी खातेदार है जिनके साबिक नम्बर 294मीन, 294/1, 294/3, 294/4 दर्ज थे जो साबिक नक्शे मे प्रार्थी के साबिक नक्शे के आस–पास तरमीम किये गये थे। विपक्षीगण भी साबिक नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। भू–प्रबन्ध होने पर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा के नवीन नम्बर 516 रकबा 0.54 हे0 व साबिक आराजी संख्या 294/2 के नवीन नम्बर 517 रकबा 0.43 हे0 कायम किये। प्रमाण मे नकल मिलान क्षैत्रफल व नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की साबिक आराजियात को राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बिना किसी विधीक आदेश के नवीन नक्शे मे बढा चढाकर फिट कर दी। साबिक नक्शे मे फिट की गई साबिक आराजियात के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नहीं किया है जिससे प्रार्थी की नवीन आराजी का नवीन नक्शा गलत कायम हो गया जिसे पुनः दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी की नवीन आराजियात एवं साबिक आराजियात दोनो नक्शो मे पड़ौसी खातेदार होने से एवं नक्शा दुरस्त होने मे प्रभावी पक्षकार होने से तथा विपक्षी संख्या 6 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है जिसे उन्हे पक्षकार विपक्षी बनाये गये है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम डांगड़ी पटवार हल्का झड़ोल मे प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा, आराजी संख्या 294/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा साढे चार बीघा भूमि जिसके नवीन नम्बर 516 रकबा 0.54 हे0 व 517 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.97 हे0 का नवीन नक्शा साबिक नक्शे के अनुरूप एवं मौके पर काबिज होने के अनुरूप तरमीम पर नवीन नक्शा दुरस्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम डांगड़ी पटवार हल्का झड़ोल मे प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा, आराजी संख्या 294/2 रकबा 2 बीघा कुल क़िता 02 कुल रकबा साढे चार बीघा भूमि जिसके नवीन नम्बर 516 रकबा 0.54 हे0 व 517 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.97 हे0 का नवीन नक्शा साबिक नक्शे के अनुरूप एवं मौके पर काबिज होने के अनुरूप तरमीम पर नवीन नक्शा दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

नुकदमा नम्बरः– 4/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–सुखलाल पिता गंगाराम रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–चेना पिता नारू रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–कमला पत्नि चेना रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्यारी देवी पत्नि नारू बलाई निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–हीरा पिता दोला रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–बदामी पत्नि हीरा रेगर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती(धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट..)

उपस्थित

1. – फारूख मोहम्मद अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खातेदार हरलालदास पिता मोहनदास बैरागी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा, आराजी संख्या 294/2 रकबा दो बीघा, कुल किता दो कुल रकबा साढे चार बीघा भूमि स्थित थी। उक्त खातेदार से प्रार्थी ने दोनो आराजियात काफी वर्षो पूर्व क्रय की तथा साबिक नक्शे के अनुरूप मौके पर काबिज होकर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन का ढाई बीघा रकबा व आराजी संख्या 294/2 का दो बीघा रकबा साबिक नक्शे मे उत्तर–दक्षिण में लम्बवत् रूप में पट्टी के रूप में फिट था इसी अनुरूप प्रार्थी मौके पर काबिज है। विपक्षीगण प्रार्थी की साबिक आराजियात के पडोसी खातेदार है जिनके साबिक नम्बर 294मीन, 294/1, 294/3, 294/4 दर्ज थे जो साबिक नक्शे मे प्रार्थी के साबिक नक्शे के आस–पास तरमीम किये गये थे। विपक्षीगण भी साबिक नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। भू–प्रबन्ध होने पर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा के नवीन नम्बर 516 रकबा 0.54 हे0 व साबिक आराजी संख्या 294/2 के नवीन नम्बर 517 रकबा 0.43 हे0 कायम किये। प्रमाण मे नकल मिलान क्षैत्रफल व नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की साबिक आराजियात को राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बिना किसी विधीक आदेश के नवीन नक्शे मे बढा चढाकर फिट कर दी। साबिक नक्शे मे फिट की गई साबिक आराजियात के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नहीं किया है जिससे प्रार्थी की नवीन आराजी का नवीन नक्शा गलत कायम हो गया जिसे पुनः दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी की नवीन आराजियात एवं साबिक आराजियात दोनो नक्शो मे पड़ौसी खातेदार होने से एवं नक्शा दुरस्त होने मे प्रभावी पक्षकार होने से तथा विपक्षी संख्या 6 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है जिसे उन्हे पक्षकार विपक्षी बनाये गये है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम डांगड़ी पटवार हल्का झड़ोल मे प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 294 मीन रकबा ढाई बीघा, आराजी संख्या 294/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा साढे चार बीघा भूमि जिसके नवीन नम्बर 516 रकबा 0.54 हे0 व 517 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.97 हे0 का नवीन नक्शा साबिक नक्शे के अनुरूप एवं मौके पर काबिज होने के अनुरूप तरमीम पर नवीन नक्शा दुरस्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः